रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHEDBYAUTHORITY

सं.223] नई दिल्ली,शुक्रवार,मई 10, 2013/वैशाख20, 1935
No.223] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2013/VAISAKHA 20, 1935

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 297(अ).-- केन्द्रीय सरकार, गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 (1962 का 1) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिमी बंगाल राज्य में यथा प्रवृत्त पश्चिमी बंगाल संपत्ति विरूपीकरण निवारण अधिनियम, 1976 (1976 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 21) का विस्तार निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र तक करती है, अर्थात् :-

उपांतरण

1. धारा 1 में उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

" (2) इसका विस्तार दमन और दीव के संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र पर है ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा । " ।

2. धारा 2 में,

(i) खंड (क) को उसके खंड (कक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

' (क) "प्रशासक" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है,';

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

' (ख) "संपत्ति" के अंतर्गत कोई भी भवन, कुटीर, संरचना, भित्ति, वृक्ष, बाड़, चौकी, खंभा या राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित कोई भी अन्य निर्माण या संस्मारक आते है;'

3. धारा 5 में "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा ।

4. धारा 7 का लोप किया जाएगा ।

[सं.यू-11015/1/ 2012-यूटीएल]
के.के.पाठक,, संयुक्त सचिव

उपाबंध

दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र को यथा विस्तारित पश्चिमी बंगाल संपत्ति विरूपीकरण निवारण अधिनियम, 1976

(1951 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33)	1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पश्चिमी बंगाल संपत्ति विरूपीकरण निवारण अधिनियम, 1976 है । (2) इसका विस्तार संपूर्ण पश्चिमी बंगाल पर है । (3) यह प्रथम दृष्टांत में कलकत्ता नगरपालिक अधिनियम, 1951 में यथा परिभाषित कलकत्ता को लागू होगा किंतु राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे ऐसे अन्य स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों को लागू कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए ।	संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना ।
	2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— (क) "विरूपीकरण" के अंतर्गत रूप और सौंदर्य का ह्रास या हस्तक्षेप, नुकसान, विद्रूपित करना, किसी भी अन्य रीति से उसे खराब करना या क्षति पहुंचाना आते हैं और "विरूपति करना" शब्द का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा ; (ख) "संपत्ति" के अंतर्गत भवन, कुटीर, संरचना, भित्ति, वृक्ष, बाड़, चौकी, खंभा या कोई भी अन्य निर्माण आते हैं; (ग) "लेखन" के अंतर्गत स्टेंसिल द्वारा उत्पन्न सजावट, अक्षर लेखन, अलंकरण आदि आते है ।	परिभाषाएं ।
	3. (1) जो कोई, जनता को दृष्टिगोचर किसी संपत्ति को ऐसी संपत्ति के स्वामी या अधिभोगी का नाम और पता उपदर्शित करने के प्रयोजन के सिवाय लेखन द्वारा या स्याही, चाक, पेंट या किसी अन्य सामग्री द्वारा विरूपित करता है, कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई अपराध किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों के किसी संगम (चाहे निगमित हो या नहीं) के फायदे के लिए हैं वहां ऐसा अन्य व्यक्ति और प्रत्येक अध्यक्ष, निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव, अभिकर्ता या उसके प्रबंध से संबंधित, यथास्थिति, कोई अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जब तक वह ये साबित न कर दे कि अपराध उसके ज्ञान और सहमति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा ।	संपत्ति के विरूपीकरण के लिए शास्ति ।
	4. इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा ।	अपराध का संज्ञेय होना ।

IndiaCode

लेखन आदि को मिटाने की राज्य सरकार की शक्ति ।	5. धारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार ऐसे कदम उठाने के लिए सक्षम होगी जो किसी संपत्ति से किसी लेखन को मिटाने, किसी विरूपीकरण को मुक्त करने या किसी चिन्ह को हटाने के लिए आवश्यक समझे जाएं ।	
अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होना ।	6. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे ।	
निरसन और व्यावृत्ति ।	7. (1) पश्चिमी बंगाल संपत्ति विरूपीकरण निवारण अध्यादेश, 1976 को निरसित किया जाता है । (2) पश्चिमी बंगाल संपत्ति विरूपीकरण निवारण अध्यादेश, 1976 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन विधिमान्यतः की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम 16 फरवरी, 1976 को प्रारंभ हो गया हो।	1976 का पश्चिमी बंगाल अध्यादेश 9।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi the 30th April, 2013

G.S.R. 297(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Goa, Daman and Diu (Administration) Act, 1962 (1 of 1962), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Daman and Diu, the West Bengal Prevention of Defacement of Property Act, 1976 (West Bengal Act XXI of 1976), as in force in the State of West Bengal, subject to the following modifications namely :-

Modifications

1.In Section 1, for sub-sections (2) and (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:-

" (2) It extends to the whole of the Union Territory of Daman and Diu.

(3) It shall come into force at once".

2. In section 2,

(i) clause (a) shall be renumbered as clause (aa) thereof and before clause (aa) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

'(a) "Administrator" means the Administrator of the Union Territory of Daman and Diu appointed by the President under article 239 of the Constitution';

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

'(b) "Property" includes any building, hut, structure, wall, tree, fence, post, pole or any other erection or monument declared as of national importance;'

3. In section 5, for the words "State Government", the word "Administrator" shall be

substituted.

4. Section 7 shall be omitted.

[No. U-11015/1/2012-UTL]
K. K. PATHAK, Jt Secy.

ANNEXURE

The West Bengal Prevention of Defacement of Property Act, 1976 as extended to the Union Territory of Daman and Diu

West Ben. Act XXXIII of 1951	**1.** (1) This Act may be called the West Bengal Prevention of Defacement of Property Act, 1976. (2) It extends to the whole of West Bengal. (3) It shall apply in the first instance to Calcutta as defined in the Calcutta Municipal Act, 1951, but the State Government may, from time to time by notification in the *official Gazette*, apply it to such other local area or areas as may be specified in the notification.	Short title, extent and application.
	2. In this Act, unless the context otherwise requires,— "defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty, damaging, disfiguring, spoiling or injuring in any other way whatsoever and the word "deface" shall be construed accordingly; "property" includes any building, hut, structure, wall, tree, fence post, pole or any other erection; "writing" includes decoration, lettering, ornamentation, etc., produced by stencil.	Definitions
	3. (1) Whoever defaces any property in public view by writing or marking with ink, chalk, paint or any other material, except for the purpose of indicating the name and address of the owner or occupier of such property, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.	Penalty for defacement of property
	(2) Where any offence committed under sub-section (1) is for the benefit of some other person or a company or other body corporate or an association of persons (whether incorporated or not), then, such other person and every president, chairman, director, partner, manager, secretary, agent or any other officer or person concerned with the management thereof, as the case may be, shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such	

	offence.	
Offence to be cognizable	**4.** An offence punishable under this Act shall be cognizable.	
Power of State Government to erase writing, etc.	**5.** Without prejudice to the provisions of section 3, it shall be competent for the State Government to take such steps as may be necessary for erasing any writing, freeing any defacement or removing any mark from any property.	
Act to override other laws	**6.** The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.	
Repeal and savings	**7.** (1) The West Bengal Prevention of Defacement of Property Ordinance, 1976 is hereby repealed. (2) Anything done or any action taken under the West Bengal Prevention of Defacement of Property Ordinance, 1976, shall be deemed to have been validly done or taken under this Act as if this Act had commenced on the 16th day of February, 1976.	West Ben. Ord. IX of 1976

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi